Assistant Professor
Dept. of Commerce
Sub: (B.O) Business Organisation
~~B.Com part-1st~~
SNSRKS College, Saharsa

Introduction :- Divorce between Management and Ownership in a Company
(कम्पनी में प्रबन्ध व स्वामित्व में पृथकता)

व्यवसाय के अन्य स्वरूपों की तुलना में कम्पनी की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इनमे प्रबन्ध व स्वामित्व में भिन्नता पायी जाती है।

एकाकी व्यापार एवं साझेदारी मे व्यवसाय का स्वामी और प्रबन्धक एक ही व्यक्ति होती है परन्तु कम्पनी में प्रबन्ध व स्वामित्व मे अलगाव या पृथकता की स्थिति पायी जाती है। कम्पनी के वास्तविक स्वामी उसके अंशधारी होते है परन्तु प्रबंध व्यवस्था अंशधारियों के पास न होकर उन्हे के चुने हुए प्रतिनिधि जिन्हे संचालक के नाम से जाना जाता है के पास होती है। वास्तव में कम्पनी में प्रजातांत्रिक प्रबन्ध व्यवस्था पायी जाती है। जिस प्रकार राजनीतिक प्रजातन्त्र में शासन की बागडोर जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के हाथ में होती है उसी प्रकार कम्पनी के प्रबन्ध की बागडोर अंशधारियों द्वारा चुने गये प्रतिनिधियों के हाथ में होती है। इन प्रतिनिधियों को ही व्यक्तिगत रूप में संचालक (Director) तथा सामूहिक रूप मे संचालक मण्डल (Board of Directors) के नाम से सम्बोधित किया जाता है।

Meaning and Definition of Director) :-

संचालक का आशय एवं परिभाषा :-
वेब्सटर (Webster) शब्दकोष के अनुसार "संचालक का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसकी नियुक्ति कम्पनी का प्रबन्ध करने के लिए होती है।
भारतीय कम्पनी अधिनियम की धारा 2(13) के अनुसार, "संचालक की स्थिति में रहने वाला कोई व्यक्ति चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाता हो संचालक कहलाता है।" यद्यपि यह परिभाषा अपूर्ण है फिर भी यह स्पष्ट हो जाता है कि संचालक का महत्व व उसके नाम से नहीं बल्कि काम से है। ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसके आदेशों के अनुसार कम्पनी का संचालक-मण्डल कार्य करने का आदी है, कम्पनी संचालक माना जायेगा। कम्पनी के समस्त संचालकों को सामूहिक रूप से संचालक मण्डल (Board of Directors) अथवा 'शासन समिति (Governing Body) या व्यवस्था से संचालक से समिति (Management Committee) कहते हैं।

* संचालकों के लक्षण अथवा विशेषताएँ :-
Characteristics of Directors) :-

संचालकों की उपर्युक्त परिभाषाओं का अध्ययन करने के पश्चात संचालकों की निम्नलिखित विशेषताएँ प्रकट होती हैं —

(1) संचालक सदैव एक व्यक्ति होता है, कोई कृत्रिम

(3) व्यक्ति, ~~फर्म~~ फर्म अथवा अन्य समामेलन संस्था नहीं।

(2) संचालको को सामूहिक रूप से संचालक मण्डल अथवा मण्डल कहा जाता है।

(3) संचालक से आशय संचालक का पद ग्रहण किये जाने से है, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाता हो।

(4) संचालक के आदेश एवं निर्देश के अनुसार ही संचालक मण्डल कार्य करने का आदी होता है।

(5) संचालक कि नियुक्ति कम्पनी के सामान्य कार्यों का प्रबन्ध करने के लिए की जाती है।

The end

Dr. Honey Sinha
Assistant professor
Dept. of Commerce
SNSRKS College
Saharsa